

कार्यालय वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्राक्घायी निधि विभाग
(साधारण बीमा निधि)

डी- ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, विधानसभा के पास, जयपुर-302005
दूरभाष - 2740252, 2740219, 2740292 (फैक्स)

Email: add.medi.sipf@rajasthan.gov.in
Website: www.sipf.rajasthan.gov.in

मेडिकलेम बीमा पॉलिसी शिड्यूल
(विशेष निर्मित पॉलिसी)

सचिव, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर

पॉलिसी नं. : जी.आई.एफ./81/मेडि./2020-21/12
बीमा अवधि : 31.05.2020 से 30.05.2021 (मध्य रात्रि)
बीमित का नाम : दिनांक 01.01.2004 व उसके पश्चात जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के 13022 कार्मिक एवं उन पर आश्रित परिजन।

जारी की तारीख : 03.06.2020
कुल बीमा राशि : रुपये 3 लाख
(प्रति कर्मचारी एवं उनके नियमानुसार आश्रित परिजन)
प्रीमियम : 1550/- +30 Category -A / B / C जी.एस.टी.-Nil

कुल कर्मचारी (जिनके लिए प्रीमियम प्राप्त): 13022
शुद्ध प्रीमियम मय विविध व्यय रु. 2,05,74,760 /-
जी.एस.टी. : Nil /-
कुल प्रीमियम रु. 2,05,74,760 /-
ई-ग्रास GRN सं 0039488453 दिनांक 29.05.2020 राशि रु. 2,05,74,760 /- (चालान सं 233254 समाशोधन दिनांक 29.05.2020)

जोखिम का विवरण : जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक व परिजनों हेतु ग्रुप मेडिकलेम, विशेष रूप से निर्मित
जोखिम आवरण : 3 लाख प्रति कार्मिक परिवार
पॉलिसी-बीमा राशि : पॉलिसी क्लॉज के अध्यक्षीन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक के परिवार में निम्न शामिल है:

- जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर कार्मिक (स्वयं),
- उसका/उसकी पति/पत्नी
- 2 आश्रित बच्चों जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं हो।
- आश्रित माता-पिता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर के कार्मिक पर आश्रित माने जायेंगे जबकि वे सामान्यतया जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुरके कार्मिक के साथ, उसके तैनाती स्थल पर रहते हों एवं उनकी मासिक आय सभी स्रोतों से रुपये 2000/-से अधिक नहीं हो।

वर्ष 2020-21 की पॉलिसी के संचालन के लिए एमडी इंडिया हेल्थ इश्योरेंस टीपीए प्रा. लि. नियुक्त है। टोल फ्री नं.- 1800-123-171-171
टीपीए डेस्क, एमडी इंडिया हेल्थ इश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.
932, किसान मार्ग, बरकत नगर,
जयपुर - 302015 (राजस्थान) फोन नं.: 7219631003
ई-मेल: jaipur@mdindia.com
आपातकालीन परिस्थिति में सम्पर्क करें: +91 8956325949
(श्री अभिलाषा सिंह, सहायक प्रबन्धक, टीपीए)

इस पॉलिसी से संबंधित दावों/दस्तावेजों को साधारण बीमा निधि/टीपीए के कार्यालय में जमा करावें।
[उपरोक्त में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना पृथक से जारी की जावेगी, जिसे विभागीय वेबसाइट (www.sipf.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।]

साधारण बीमा निधि की मेडिकलेम पालिसी की सामान्य शर्तों के अध्यक्षीन जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर कार्मिक को बीमा आवरण प्रदान किया गया है।

5/6/2020
अति. निदेशक(मेडिओ)
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
सा.बी.नि. राजस्थान, जयपुर

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
राजस्थान, जयपुर

नोट: पॉलिसी के समस्त नियम एवं शर्तें राजमेडिकलेम पॉलिसी 2020-21 के अनुरूप हैं।

